अपील सूचना अधिकार संख्या 46/2019 (RCMS 2019/00144) हरचन्द पुत्र ख्यालीराम निवासी ग्राम पोस्ट राजपुरा पिपेरन, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़

<u>17.02.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरचन्द स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने दिनांक 25.05.2019 को जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुल तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए अपीलार्थी ने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी हरचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2019 से निम्न सूचना चाही थी :

> प्रार्थी ने ग्राम राजपुरा पिपरेन की मुख्य गली में ग्राम पंचायत राजपुरा पिपरेन, पंचासत समिति सूरतगढ द्वारा बनवाई गई सी. सी. सडक के गुणवत्ताहीन निमार्ण कार्य की शिकायत (संलग्न शिकायती प्रार्थना नत्र दिनांक 03.03.2018) रजीस्ट्रड डाक द्वारा दिनांक 03.03.2018 को आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत किया। श्रीमान जी से निवेदन है कि इस शिकायत के संबध में निम्न सूचनाऐं उपलब्ध करवाने की कृपा करे।
>
> 1. प्रसंगिक शिकायत/प्रकरण में सम्पूर्ण जॉच संबधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
> 2. प्रसंगिक शिकायत/प्रकरण में सक्षम स्तर जांच के पूर्व एंव बाद में जारी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. प्रसंगिक शिकायत/प्रकरण में जांच करने वाले समस्त कार्मिको के नाम, पदनाम एवं .वर्तमान पदस्थापन स्थान संबधी सूचना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ ने अपने पत्र दिनांक 04.11.2019 से मूल पत्र ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन को लिखते हुए, प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की है तथा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राजपुरा पिपेरन को निम्नानुसार लिखा हैः

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री हरचन्द पत्र ख्यालीराम गांव राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ द्वारा सूचना के अधिकार के तहत इस कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चूंकि सूचना ग्राम पंचायत से सबंधित थी। अतः धारा 6(1) के अर्न्तगत पत्र के साथ मूल ही आवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 14523, 14531, 14535 दिनांक 18.01.2019 आपको भिजवाते हुए निर्देशित किया गया था, कि आप नियमानुसार निर्धारित अवधि में सूचना संबधित को उपलब्ध करवाते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें, उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री हरचन्द पुत्र ख्यालीराम गांव राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ की अपील श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय में दर्ज है, जिसकी सुनवाई दिनांक 05.11.2019 को है जिसमें समस्त रिकार्ड के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राजपूरा पिपेरन, पंचायत समिति सूरतगढ दिनांक 05.11.2019 एवं उसके पश्चात की किसी भी तिथि को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है और **अपीलार्थी द्वारा चाही गई** सूचनाओं का सम्बन्ध ग्राम पंचायत राजपूरा पिपेरन से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध **प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। अपीलार्थी यदि ग्राम पंचायत द्वारा दी गई सूचनाओं से असतुंष्ट है तो वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच, जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी है, के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।**

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राजपूरा पिपेरन को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 17.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर